टिप्पणी

13

कीमत और मात्रा के निर्धारण में सरकार की भूमिका

हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण, सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। किन्तु इस प्रकार निर्धारित कीमत इतनी ऊँची हो सकती है कि कुछ उपभोक्ता इस कीमत पर वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं अथवा यह इतनी कम हो सकती है कि इस कीमत पर उत्पादक अपनी वस्तु को बेचने के इच्छुक नहीं होते, अथवा इससे वस्तु की उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करती है तथा उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये, जैसा उपयुक्त हो, वस्तु की कीमत को या तो संतुलन कीमत से कम या संतुलन कीमत से अधिक निश्चित करती है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका को समझ सकेंगे;
- सरकार किस प्रकार कीमत नियंत्रित करती है को समझ सकेंगे;
- न्यूनतम समर्थन कीमत की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- सरकार उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सहायता क्यों करती है, को समझ सकेंगे।

13.1 वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका

जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण, सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना, मांग और पूर्ति की शक्तियों के स्वतंत्र प्रभाव द्वारा होता है। किन्तु कभी-कभी जब बाजार में किसी वस्तु की कमी होती है तो इस प्रकार निर्धारित कीमत बहुत ऊँची होती है। ऐसी स्थिति में कुछ उपभोक्ता, ऊँची कीमत होने के कारण, वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को वस्तु की कीमत निश्चित करनी पड़ती है जो प्रायः संतुलन कीमत से कम होती है। इसी प्रकार जब खाद्यान्नों की फसल बहुत अच्छी होती है तो खाद्यान्नों की कीमत नीचे स्तर पर निर्धारित होती है। इस कीमत पर किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती। इसलिए कीमतों में अधिक

कमी होने के कारण किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार खाद्यान्नों की कीमत निश्चित करती है, जो कि संतुलन कीमत से अधिक होती है, जिससे उत्पादकों, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा हो सके। इसलिए कभी-कभी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार, कुछ वस्तुओं की कीमत निर्धारण में मांग और पूति की शक्तियों की स्वतंत्र भूमिका नहीं चलने देती। सरकार वस्तु की कीमत या तो संतुलन कीमत से कम या अधिक निश्चित कर सकती है। इस प्रकार की कीमत को निर्देशित कीमत (सरकार द्वारा निर्धारित कीमत) कहते हैं। निर्देशित कीमत निम्न रूपों में हो सकती है

(i) नियन्त्रित कीमत

(ii) समर्थन कीमत

(iii) सांकेतिक कीमत

(iv) दोहरी कीमत

13.2 नियन्त्रित कीमत

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निश्चित करती है। यह अधिकतम कीमत प्रायः संतुलन कीमत से कम होती है। इसे नियंत्रित कीमत अथवा उच्चतम कीमत कहते हैं। सरकार द्वारा यह कीमत इसलिए निश्चित की जाती है क्योंकि गरीब लोग संतुलन कीमत पर वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते। यह स्थिति तब पैदा होती है जब किसी वस्तु का उत्पादन उसकी मांग से कम होता है। क्योंकि सरकार द्वारा निश्चित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है, इससे वस्तु की आधिक्य मांग उत्पन्न हो सकती हैं जिसका अर्थ है कि क्रेता उससे अधिक खरीदने को तत्पर होते है जितना विक्रेता बेचने के इच्छुक होते हैं। भारत में सरकार नियंत्रित कीमत अथवा उच्चतम कीमत उन वस्तुओं के लिये निर्धारित करती है जिन्हें वह आम जनता के लिए अनिवार्य समझती है। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की नियंत्रित कीमतें हैं। उच्चतम कीमत पर वस्तु की आधिक्य मांग होने के कारण सरकार **राशनिंग प्रणाली** अपनाती है। **राशनिंग से अभिप्राय प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय में कोटा नियत करने से है।** उच्चतम कीमत पर वस्तु की आधिक्य मांग होने के कारण काला बाजारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। काला बाजारी वह स्थिति है जिसमें विक्रेता गैर कानूनी तौर पर वस्तु की ऐसी कीमत वसूल करता है जो नियन्त्रित कीमत से बहुत अधिक होती है। काला बाजारी की समस्या को दोहरी कीमत नीति द्वारा हल किया जा सकता है जिसकी व्याख्या इस पाठ के अन्तिम भाग में की जायेगी।

पाठगत प्रश्न 13.1

1. सरकार कुछ वस्तुओं की कीमत संतुलन कीमत से नीची क्यों निर्धारित करती है?
2. किसी वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से नीची निर्धारित करने में आने वाली समस्याओं के नाम दीजिये।

3. राशनिंग से क्या अभिप्राय है?

4. काला बाजारी से आपका क्या अभिप्राय है?

5. कीमत नियंत्रण के कारण, कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी जाती है?

13.3 समर्थन कीमत

कभी-कभी, उत्पादकों, मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है जिसका भुगतान उत्पादकों को करना होता है। यह कीमत प्रायः संतुलन कीमत से अधिक होती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि उत्पादकों को संतुलन कीमत पर उनकी पूरी उत्पादन लागत नहीं मिलती। **सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निश्चित की गई यह कीमत समर्थन कीमत कहलाती है।** इससे वस्तु की पूर्ति आधिक्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रेता जितनी वस्तु खरीदना चाहते हैं विक्रेता उससे अधिक वस्तु बेचना चाहते हैं।

भारत में, खाद्यान्न जैसे गेहूँ और चावल आदि की नीची कीमत का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी खाद्यान्न उत्पादन में रूचि समाप्त हो सकती है। इससे खाद्यान्न की बहुत अधिक कमी हो सकती है। इसलिए, कृषि उत्पादों के लिए, समर्थन कीमत की व्यवस्था अपनायी जाती है। समर्थन कीमत की यह व्यवस्था किसानों के लिए यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने उत्पादों को कम से कम इस कीमत पर बेच सकेंगे।

समर्थन कीमत पर वस्तु की पूर्ति आधिक्य की स्थिति में, सरकार वस्तु की कितनी भी मात्रा, वस्तु का बफर स्टॉक करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार रहती है।

पाठगत प्रश्न 13.2

1. समर्थन कीमत क्या है?
2. सरकार वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से अधिक क्यों निश्चित करती है?
3. मान लीजिये, किसान सरकार द्वारा, संतुलन कीमत से अधिक निश्चित कीमत पर अपना गेहूँ का पूरा उत्पादन नहीं बेच पाते हैं, सरकार द्वारा कौन सी नीति अपनायी जाती है?
4. किन्हीं दो वस्तुओं के नाम दो, जिनकी भारत में समर्थन कीमत है।

13.4 सांकेतिक कीमत

कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती है जिन्हें जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा जाता है, जैसे चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि। गरीब लोग प्रचलित बाजार कीमत

पर इन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं इसलिए सरकार और कुछ निजी धमार्थ संस्थाएं, इन सेवाओं को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराती हैं जो इनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत से भी बहुत कम होती है। यह कीमत इन वस्तुओं और सेवाओं की सांकेतिक कीमत कहलाती है। सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली ट्यूशन फीस, सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी लागत व्यय से बहुत कम होती है।

सांकेतिक कीमत इन सेवाओं का दुरूपयोग रोकने के लिए वसूल की जाती है, अन्यथा इन वस्तुओं को निःशुल्क भी उपलब्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि इन सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय तो कुछ लोग निःशुल्क आवास और भोजन प्राप्त करने के लिए अस्पतालों में अधिक समय तक ठहरने का प्रयत्न कर सकते हैं।

13.5 दोहरी कीमत

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कीमत नियन्त्रण के कारण वस्तु की कमी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि विक्रेता सरकार द्वारा नियन्त्रित कीमत पर वस्तु की काफी मात्रा की पूर्ति करने के इच्छुक नहीं होते क्योंकि यह कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। इससे वस्तु की काला बाजारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार दोहरी कीमत नीति अपनाती है। इस नीति के अन्तर्गत वस्तु के कुल उत्पादन का एक भाग नियन्त्रित कीमत पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है और शेष भाग प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जाता है जिसका निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। इस कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए, बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड वाले व्यक्तियों को सरकार, उचित दर दुकानों के माध्यम से गेहूँ, चावल और चीनी नियन्त्रित कीमत पर बेचती है और उत्पादकों को उत्पादन का शेष भाग खुले बाजार में संतुलन कीमत पर बेचने की अनुमति भी देती है।

पाठगत प्रश्न 13.3

1. सांकेतिक कीमत क्या है?
2. दोहरी कीमत से क्या अभिप्राय है?
3. सरकार कुछ वस्तुओं को निशुल्क क्यों नहीं उपलब्ध कराती। वह उनकी सांकेतिक कीमत क्यों वसूल करती है?
4. सही उत्तर पर (√) चिन्ह लगाइए।
   (अ) सांकेतिक कीमत वह कीमत है जो सरकार द्वारा प्रति इकाई उत्पादन लागत से ऊँची निश्चित की जाती है।
   (ब) सांकेतिक कीमत वह कीमत है जो प्रति इकाई उत्पादन लागत से बहुत कम होती है।
   (स) सांकेतिक कीमत वह कीमत होती है जो अमीर लोगों से वसूल की जाती है।
   (द) सांकेतिक कीमत प्रति इकाई उत्पादन लागत के बराबर होती है।

13.6 बाजार कीमत पर, करों और आर्थिक सहायता का प्रभाव

सरकार, वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी बिक्री तथा कच्चे माल आदि के आयात पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती है जो क्रमशः उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आयात शुल्क के रूप में होते हैं। ये करें सरकार को, उत्पादकों, विक्रेताओं तथा इन वस्तुओं के आयात करने वालों द्वारा भुगतान किए जाते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादक, विक्रेता और आयात करने वाले उन्हें इन वस्तुओं के क्रेताओं से वसूल कर लेते हैं। इसलिए ये **कर इन वस्तुओं की बाजार कीमत में वृद्धि करते हैं।** यदि सरकार इन करों की दर बढ़ा देती है तो इन वस्तुओं की बाजार कीमत भी बढ़ जायेगी।

दूसरी ओर, वस्तुओं को आम आदमियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादकों को आर्थिक सहायता भी देती है। इसलिए, **आर्थिक सहायता में वृद्धि करने से वस्तु की बाजार कीमत में कमी हो जाती है।** उदाहरण के लिए सरकार मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस आदि पर आर्थिक सहायता देती है।

13.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.)

गरीब लोग अनिवार्य वस्तुओं को भी उनकी बाजार कीमत पर खरीदने में समर्थ नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए भारत में अपनायी जाने वाली विधियों में से एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इस पद्धति के अन्तर्गत, अनिवार्य वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, चीनी आदि को राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दर दुकानों के माध्यम से आम आदमियों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इन वस्तुओं को, राशन कार्ड नामक पहचान पत्र द्वारा बेचा जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं :

1. **आर्थिक सहायता :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसलिए इस प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है।

2. **निश्चित मात्रा (राशनिंग) :** सरकार एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रति समय इकाई प्रति व्यक्ति की मात्रा निश्चित कर देती है। प्रत्येक परिवार को परिवार में सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक राशन कार्ड दे दिया जाता है। प्रत्येक परिवार अपने परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार उचित दर दुकान से वस्तु की निश्चित मात्रा खरीद सकता है।

3. **उचित दर दुकान (उ.द.दु.) :** सरकार राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दर दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं को बेचती है। ये दुकाने देश के सभी भागों में खोली जाती हैं। सरकार ये वस्तुएं इन दुकानों के मालिकों को प्रत्येक दुकान पर पंजीकृत राशन कार्डों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराती है। इन दुकानों के मालिकों को उनकी कुल बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।

पाठगत प्रश्न 13.4

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तीन तत्वों के नाम दो।
2. कर में वृद्धि वस्तु की कीमत को कैसे प्रभावित करती है?
3. आर्थिक सहायता में वृद्धि वस्तु की कीमत को कैसे प्रभावित करती है?
4. 'राशनिंग' शब्द से क्या अभिप्राय है?
5. उचित दर दुकानों को उनके द्वारा बांटी जाने वाली वस्तुओं का कोटा किस आधार पर दिया जाता है?
6. निम्न का पूरा रूप लिखिए
   (i) बी.पी.एल.
   (ii) एफ.पी.एस.
   (iii) पी.डी.एस.

आपने क्या सीखा

- निर्देशित कीमतें वे कीमतें होती हैं, जो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं या उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए, संतुलन कीमत से कम या अधिक निश्चित की जाती है।
- नियन्त्रित कीमत वह कीमत होती है, जो सरकार द्वारा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए संतुलन कीमत से कम निश्चित की जाती है।
- समर्थन कीमत वह कीमत होती है जो सरकार द्वारा, उत्पादकों विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, संतुलन कीमत से अधिक निश्चित की जाती है।
- सांकेतिक कीमत वह कीमत होती है जो सरकार/निजी धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से बहुत कम निश्चित की जाती है।
- दोहरी कीमत पद्धति के अन्तर्गत, कुल उत्पादन का एक भाग, नियंत्रित कीमत पर उचित दर दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है और शेष उत्पादन सरकार के बिना हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत पर खुले बाजार में प्रचलित कीमत पर बेचा जाता है।
- किसी वस्तु पर कर में वृद्धि, वस्तु की बाजार कीमत में वृद्धि करती है।
- किसी वस्तु पर दी गई आर्थिक सहायता वस्तु की बाजार कीमत को घटाती है।
- वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डों के आधार पर बेची जाती हैं।

टिप्पणी

पाठान्त प्रश्न

1. नियन्त्रित कीमत क्या है? ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार प्रभावित करती है?
2. समर्थन कीमत क्या है? इसका उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. सांकेतिक कीमत क्या है? किसी वस्तु की सांकेतिक कीमत रखने के पीछे क्या उद्देश्य होता है?
4. दोहरी कीमत नीति की पद्धति की व्याख्या कीजिए। यह गरीबों की सहायता कैसे करती है?
5. कर और आर्थिक सहायता किसी वस्तु की बाजार कीमत को कैसे प्रभावित करते हैं?
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसके आवश्यक तत्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

पाठगत प्रश्न 13.1

1. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए
2. (i) मांग आधिक्य की समस्या या वस्तु की कमी

   (ii) कालाबजारी की समस्या
3. राशनिंग से अभिप्राय प्रति इकाई समय में प्रति व्यक्ति कोटा निश्चित करना है
4. कालाबाजारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें विक्रेता, गैर कानूनी तौर पर, नियन्त्रित कीमत से बहुत अधिक कीमत वसूल करता है।
5. दोहरी कीमत नीति

पाठगत प्रश्न 13.2

1. समर्थन कीमत एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार द्वारा, उत्पादकों, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए संतुलन कीमत से अधिक निश्चित की जाती है।
2. उत्पादकों, विशेषरूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए
3. सरकार, समर्थन कीमत पर, वस्तु का बफर स्टॉक बनाने के लिए, वस्तु को किसी भी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार रहती है।
4. (i) गेहूँ (ii) चावल

पाठगत प्रश्न 13.3

1. सांकेतिक कीमत वह कीमत है जो सरकार और निजी धमार्थ संस्थाओं द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से भी बहुत कम निश्चित की जाती है।
2. दोहरी कीमत एक ऐसी नीति है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन का एक भाग उचित दर दुकानों द्वारा नियंत्रित कीमत पर बेचा जाता है और शेष भाग मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जाता है।
3. सरकार कुछ वस्तुओं को, इनका दुरूपयोग रोकने के लिए, निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराती।
4. (ब)

पाठगत प्रश्न 13.4

1. (i) आर्थिक सहायता (ii) निश्चित मात्रा या राशनिंग (iii) उचित दर दुकानें
2. वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।
3. वस्तु की कीमत घट जाती है।
4. राशनिंग से अभिप्राय प्रति इकाई समय में प्रति व्यक्ति कोटा निश्चित करना है।
5. दुकान के पास पंजीकृत राशन कार्डों की संख्या के आधार पर।
6. (i) गरीबी रेखा के नीचे (ii) उचित दर दुकानें (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली